बिहार विधान परिषद

213 मॉनसून सत्र

तारांकित प्रश्न

22 जुलाई, 2026

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - सहकारिता - पर्यटन - सूचना एवं जनसम्पर्क - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - नगर विकास एवं आवास - मंत्रिमंडल सचिवालय - सिविल विमानन - निगरानी - सूचना प्रावैधिकी - निर्वाचन - आपदा प्रबंधन].

कुल प्रश्न - 27

जल निकासी हेतु मास्टर प्लान

*29 डा. अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कोशी कमिश्नरी मुख्यालय, सहरसा बारिश के दिनों में जल-जमाव के कारण नारकीय स्थिति को झेलने के लिए विवश है;

(ख) क्या यह सही है कि सहरसा नगर निगम क्षेत्र का न्यू कॉलोनी नयाबाजार, सड़ाही, गाँधी पथ, कृष्णा-नगर, कचहरी रोड, कुंवर टोला, विद्यापति नगर, फकीर टोला, मीर टोला, बटराह की स्थिति बरसात में जल-जमाव के कारण नारकीय स्थिति में रहती है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सहरसा नगर निगम क्षेत्र में जल निकासी हेतु विस्तृत मास्टर प्लान तैयार कर आधुनिक संयन्त्र, बड़े नाले, शम्प हाउस सहित अन्य आवश्यक निर्माण कार्य कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

आर टी पी एस सेवाएं पुन: बहाल

***30 श्री सौरभ कुमार (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने, नाम में त्रुटि सुधार (प्रपत्र 'ख') तथा अन्य संशोधन संबंधी आवेदन पूर्व में RTPS के माध्यम से स्वीकार किए जाते थे;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सेवाओं को RTPS पोर्टल से बंद अथवा निष्क्रिय किए जाने के कारण राज्य के लाखों लाभार्थियों को राशन कार्ड में संशोधन, नए सदस्य का नाम जोड़ने इत्यादि में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि RTPS के माध्यम से प्राप्त हजारों आवेदन आज भी लंबित हैं तथा पात्र लाभार्थियों के नाम बिना किसी पूर्व सूचना, भौतिक सत्यापन एवं सक्षम प्राधिकारी की विधिसम्मत जाँच के राशन कार्ड से हटाए जा रहे हैं, जिससे वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाले खाद्यान्न एवं अन्य लाभों से वंचित हो रहे हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार RTPS के माध्यम से राशन कार्ड संबंधी सेवाओं को पुनः प्रारंभ करने, लंबित आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने तथा बिना समुचित जाँच एवं सत्यापन के हटाए गए पात्र लाभार्थियों के नाम पुनः बहाल करने हेतु कोई विशेष अभियान चलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सैटेलाइट टाउनशिप विकसित

***31 श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पाटलिपुत्र सहित अनेक सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का निर्णय हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त इलाके में जहाँ टाउनशिप विकसित होना है, वहाँ के किसानों की जमीन क्रय-विक्रय पर रोक लगी हुई है;

(ग) क्या यह सही है कि निर्णय के तुरंत बाद ही जमीन के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गई जिससे अनेक भू-स्वामियों के जमीनों के क्रय-विक्रय हेतु किए गए एकारारनामा की ज़मीन रजिस्ट्री नहीं हो सकी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कुछ अवधि के लिए रजिस्ट्री खोलना चाहती है; यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

गेहूं का सही मूल्य सुनिश्चित

***32 श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **सहकारिता** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2026-27 में गेहूं खरीद का लक्ष्य घटाकर पूर्वी चंपारण जिले की चयनित समितियों को 29-29 मीट्रिक टन कर दिया गया है जबकि16 अप्रैल 2026 तक 72 किसानों से मात्र 531 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि लक्ष्य घटाने के कारण किसान बिचौलियों को 2400 रु. प्रति क्विंटल की दर से गेहूं बेचने को विवश हो गए जबकि इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रु. प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बिचौलियों के

शोषण से किसानों को बचाने हेतु सही व्यवस्था सुनिश्चित कराना चाहती है ताकि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सड़क की मरम्मति

*33 **श्री अशोक कुमार पाण्डेय (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना शहर के न्यू बाईपास रोड, बेउर स्थित वार्ड नंबर-13 में स्वयंवर उत्सव हॉल, तेजप्रताप नगर से लेकर रियांक फार्म्स तक पीसीसी सड़क मात्र लगभग दो साल पहले बनी थी, जो अब जर्जर और ऊबड़-खाबड़ हो गई है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क का ही रियांक फार्म्स से लेकर रोड नं.-10, महावीर कालोनी तक कच्चे और टूटे-फूटे पथांश का प्राक्कलन पटना नगर निगम द्वारा सालभर पहले तैयार किया गया था, लेकिन वह अंश भी नहीं बनाया गया है, जिससे बहुत बड़ी आबादी खासकर महिलाओं, बच्चों और वृद्धजनों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मति एवं शेष अंश का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

डिजिटल लाइब्रेरी

*34 **श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या मंत्री, **सूचना प्रावैधिकी** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (BELTRON) के पत्रांक–7395/2025, दिनांक–12.12.2025 के अनुसार "मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना" के अंतर्गत चयनित एजेंसियों द्वारा प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र पर 11 कंप्यूटर, 11 यूपीएस, 11 चेयर एवं मॉड्यूलर टेबल उपलब्ध कराए जाने तथा प्रत्येक केंद्र पर 01 सुपरवाइजर एवं 01 टेक्नीशियन की तैनाती तीन वर्षों के लिए

सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के अनेक चयनित डिजिटल लाइब्रेरी केंद्रों पर आवश्यक मानवबल उपलब्ध नहीं होने अथवा संबंधित एजेंसियों द्वारा अपेक्षित व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं किए जाने के कारण कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों का संचालन प्रारंभ नहीं हो सका है तथा कुछ स्थानों पर उपलब्ध कराए गए उपकरण वापस किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारियों एवं संविदा शर्तों के अनुपालन की समीक्षा कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करना चाहती है तथा जिन डिजिटल लाइब्रेरी केंद्रों का संचालन मानवबल अथवा अन्य संसाधनों के अभाव में बाधित है, वहां अविलंब व्यवस्था बहाल करते हुए केंद्रों का संचालन प्रारंभ कर जिलावार विवरण उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक ?

भूखंड की रजिस्ट्री

***35 डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य आवास बोर्ड अंतर्गत बहादुरपुर पटना स्थित आवासीय-सह-व्यावसायिक भूखंड संख्या-3 आर. सी./42 पर श्री राजेंद्र सिंह, पिता-स्व. रामदेव सिंह द्वारा नियमानुसार समय सीमा के अंदर मकान का निर्माण नहीं किये जाने की स्थिति में बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा 45,041/रु. दंड शुल्क के रूप में जमा करने का निर्देश दिया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि श्री राजेंद्र सिंह द्वारा दिनांक-13/02/2026 को ही उक्त दंड राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कर दिया गया था, इसके बावजूद विभागीय अधिकारियों की लापरवाही और मनमानी की वजह से आज तक उक्त भूखंड को विभाग द्वारा फ्री होल्ड कर श्री राजेंद्र सिंह के नाम पर रजिस्ट्री नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपराेक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्र उक्त भूखंड को श्री राजेंद्र सिंह के नाम पर रजिस्ट्री करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

परिमार्जन के आदेश

***36 श्री राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 1919 के खतियान में बकास्त भूमि के बकब्जे कॉलम में रैयतों के नाम अंकित हैं तथा वर्ष 1953 में इसी आधार पर रैयतों के नाम से जमाबंदी कायम की गई तथा जमाबंदीदार साल दर साल लगान जमा करते आ रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि बकास्त भूमि का कई बार क्रय-विक्रय हुआ है तथा लेख्यधारी के नाम से जमाबंदी कायम है व सरकार लगान ले रही है;

(ग) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा दिनांक-12.09.2024 को अंचलाधिकारियों को जारी दिशानिर्देश में Clarification जारी होने तक परिमार्जन/दाखिल-ख़ारिज आवेदन को स्थगित रखने का निदेश है तथा अबतक Clarification जारी नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बकास्त भूमि के परिमार्जन/दाखिल-ख़ारिज आवेदन के स्थगन आदेश को हटाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जाम की समस्या

***37 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत के०बी०झा कॉलेज के छात्रावास से छीटा बाड़ी जाने वाली सड़क में भगवान चौक के पास रेलवे ढ़ाला बंद हो जाने से लगभग 3 से 4 घंटों तक जाम लगा रहता है, जिससे मरीज एवं छात्र–छात्राओं को काफी समस्या होती है;

(ख) क्या यह सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत के०बी०झा कॉलेज के छात्रावास के मुख्य द्वार से श्री नारायण प्र० दास के घर तक कुछ दुकानदारों के द्वारा सड़क से सटे दुकान

लगाने से जाम की समस्या होती है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कटिहार जिलान्तर्गत के०बी०झा कॉलेज के छात्रावास के मुख्य द्वार से श्री नारायण प्र० दास के घर तक मुख्य सड़क को अतिक्रमण से मुक्त कराकर जाम की समस्या से निजात दिलाना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

स्ट्रीट लाईट

*38 **श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिला के नगर परिषद् नवादा क्षेत्र अंतर्गत सिविल कोर्ट से कृष्णा नगर होते हुए गोवर्धन मंदिर तक स्ट्रीट लाईट नहीं रहने के कारण नगरवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि उपरोक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नगरवासियों के हित में सिविल कोर्ट से कृष्णा नगर होते हुए गोवर्धन मंदिर तक स्ट्रीट लाईट लगवाना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

नाली की सफाई

*39 **डा. उर्मिला ठाकुर (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आर. ब्लॉक पथ सं.-06 स्थित फ्लैट संख्या - 169 से 174 के पीछे की नाली में भरे गाद की साफ-सफाई के अभाव में झाड़ी, पौधा उग जाने के कारण गंदगी, मच्छर, बदबू का प्रकोप काफी बढ़ गया है तथा पानी का निकास मार्ग अवरूद्ध हो गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नाली की अच्छी तरह से सफाई कराने हेतु दिनांक - 21.05.2026 को नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना और कार्यपालक पदाधिकारी,

नूतन राजधानी अंचल, पटना नगर निगम, पटना को पत्र दिया गया है, परंतु स्थिति यथावत बनी हुई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड- 'क' पर अंकित नाली की साफ-सफाई करते हुए घर से निकला गंदा पानी और वर्षा के पानी का निकास-मार्ग सुलभ रखना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई

***40 श्री सोनु कुमार राय (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में दाखिल-खारिज, ई-मापी, परिमार्जन और अभियान बसेरा के लाखों आवेदन लंबित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि जमीन से जुड़े कार्यों का ससमय निबटारा नहीं होने के कारण काफी विवाद हो रहा है और हत्या भी हो रही है;

(ग) क्या यह सही है कि राजस्व विभाग में सृजित पदों के अनुसार पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए लंबित आवेदन का ससमय निबटारा कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

आपदा से राहत

***41 श्री ललन प्रसाद (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **आपदा प्रबंधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि शेखपुरा जिला के घाट कुशुम्बा प्रखण्डान्तर्गत हरोहर नदी बहती है जिससे प्रतिवर्ष बाढ़ से फसल बर्बाद हो जाती है ;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त हरोहर नदी का बहाव लखीसराय जिला में भी होता है और वहाँ के किसानों को फसल बर्बादी के कारण प्रतिवर्ष मुआवजा का भुगतान किया जाता है एवं उन्हें बाढ़ पीड़ित घोषित किया जाता है जबकि घाट कुशुम्बा प्रखण्ड के किसानों को फसल बर्बादी के बाद भी बाढ़ पीड़ित घोषित नहीं किया जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेखपुरा जिला के घाट कुशुम्बा प्रखण्ड को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर प्रभावित लोगों को आपदा से राहत देना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अधिग्रहित भूमि

*42 **श्रीमती रीना देवी (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत एकंगरसराय बाजार के पश्चिमी तरफ जमीन का अधिग्रहण कर बाईपास का निर्माण कराया गया है, जिसके कारण अधिग्रहित भूमि की खरीद-बिक्री पर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के द्वारा रोक लगा दी गई थी;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त बाईपास का निर्माण पूर्ण हुए लगभग दो वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अधिग्रहित भूमि जो किसानों की शेष बची हुई है, उसपर से खरीद- बिक्री का प्रतिबंध अभी तक नहीं हटाया गया है, जिसके कारण रोगियों के ईलाज एवं बेटियों की शादी में किसानों को कठिनाई हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित बाईपास निर्माण के बाद किसानों की शेष बची हुई अधिग्रहित भूमि पर से खरीद-बिक्री प्रतिबंध को अविलंब हटाने का आदेश जारी करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण मुक्त

***43 श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत एकंगरसराय अंचल के मौजा-गोमहर, थाना संख्या- 45, खाता संख्या–164, प्लाॅट संख्या- 331 खेल का मैदान और गैर मजरूआ सर्व साधारण सार्वजनिक भूमि है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त प्लाॅट संख्या- 331 पर भूमाफिया द्वारा कब्जा एवं अतिक्रमण कर पक्का मकान बनाया जा रहा है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्लॉट की मापी एवं सीमांकन करते हुए अवैध गैर कानूनी कब्जा और अतिक्रमण को हटाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अमर शहीद वारिस अली के नाम की पट्टिका

***44 श्री वंशीधर ब्रजवासी (स्नातक तिरहुत):**

क्या मंत्री, **मंत्रिमंडल सचिवालय** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज थाना में जमादार के पद पर कार्यरत 1857 के क्रांतिकारी तिरहुत के प्रथम अमर शहीद वारिस अली को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी थी;

(ख) क्या यह सही है कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में प्रकाशित और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विमोचित डिक्शनरी आफ मार्टियर्स: इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल (1857- 1947) में वारिस अली को केंद्र सरकार द्वारा शहीद घोषित किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि वारिस अली जिस जमादार आवास में रहते थे उसे स्मारक घोषित करने और नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत उनके नाम पर अवस्थित माल गोदाम चौक से मोतीझील तक की सड़क के दोनों तरफ उनकी नाम पट्टिका लगाने की मांग लम्बे

समय से की जा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बरूराज थाने में अवस्थित अमर शहीद वारिस अली के निवास जमादार आवास को स्मारक बनाने और मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत उनके नाम पर अवस्थित मार्ग पर नाम पट्टिका लगाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पर्यटकों की संख्या

***45 श्रीमती शिवरानी देवी (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह यह सही है कि राज्य में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा व्यापक योजनाएँ चलाई जा रही हैं जिससे विगत कुछ वर्षों में 60 से 70 इको टूरिज्म स्थल विकसित हुए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार कैमूर टाइगर रिजर्व और पश्चिम चम्पारण के बाल्मिकीनगर टाइगर रिजर्व जैसे क्षेत्रों को इको-टूरिज्म हब के रूप में विकसित कर रही है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त इको टूरिज्म हब स्थानों पर पर्यटकों की सहूलियत हेतु निःशुल्क शौचालय की व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27(अबतक) में पश्चिमी चम्पारण जिला के बाल्मिकीनगर में देशी और विदेशी पर्यटक काफी संख्या में आये हैं;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'घ' पर अंकित वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27(अबतक) में बाल्मिकीनगर में आनेवाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या बताना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सहायता राशि का भुगतान

***46 मोहम्मद खालिद अनवर (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **सहकारिता** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि 29 सितम्बर 2024 को सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखण्ड में बागमती नदी का उत्तरी तटबंध टूट जाने के कारण भीषण बाढ़ से फसलों की क्षति हुई थी;

(ख) क्या यह सही है कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के हजारों किसानों ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत खरीफ-2024 के लिए आवेदन दिया था;

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त आवेदनों के सत्यापन के दो साल बाद भी फसल सहायता राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त किसानों की फसल सहायता राशि का भुगतान कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

शेष राशि का भुगतान

***47 श्री जीवन कुमार(शिक्षक गया) :**
श्री वंशीधर ब्रजवासी(स्नातक तिरहुत) :

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि परियोजना पदाधिकारी सह-अपर निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक-04/वि०मं०-09-124/26 2354, दिनांक-24.02.2026, ज्ञापांक-04/वि०मं०-09-125/26 2479, दिनांक-26.02.2026, ज्ञापांक 04/वि०मं०-09-144/26 2480, दिनांक-26.02.2026 एवं ज्ञापांक-04/वि०मं०-09-123/26 2481, दिनांक-26.02.2026 द्वारा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के उपरांत संवेदक को शेष राशि विमुक्त करने के लिए अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आदेशित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि फरवरी 2026 में उक्त आदेश के बावजूद वर्तमान तक संवेदक को शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त संवेदक को खंड 'क' में वर्णित विभिन्न योजनाओं की शेष राशि का भुगतान यथाशीघ्र कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

पुनर्वासन हेतु जमीन

*48 **श्री हरि सहनी (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत ग्राम-टेम्हा बन्नी रोहरी, पो०-बन्नी, थाना-महेशखूंठ, प्रखंड-गोगरी गंगा कटाव के कारण वर्ष 1969 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महादलित जाति के लगभग 83 परिवार बेघर हो गये थे;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त परिवारों को पुनवार्सित करने हेतु गोगरी अंचल के अभिलेख सं०-1/98-99 के तहत 4 एकड़ 40 डिसमिल जमीन जिसका मौजा-बन्नी, खाता-610, खेसरा नं०-3368, 3380, 3381, जमाबंदी नं-347, थाना नं0-287 गोगरी की भूमि अवस्थित है;

(ग) क्या यह सही है कि पीड़ित परिवार एन०एच०-31 के दोनों किनारे और रेलवे की भूमि पर वर्षों से बसे हुए हैं, वर्तमान में एन०एच०-31 के विस्तार होने के कारण इन लोगों को यहां से हटाया जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड-'क' में वर्णित पीड़ित परिवारों को खंड-ख में वर्णित भूमि पर पुनर्वासन हेतु प्रस्तावित जमीन उपलब्ध कराना चाहती है; यदि हाँ तो कब तक ?

शेड का निर्माण

*49 **श्री दिलीप कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, औरंगाबाद):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के प्रत्येक जिला में एस.सी. एवं एस.टी. विभाग के तरफ

से प्रस्तावित टोला में, सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड के निर्माण हेतु अंचल अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है;

(ख) क्या यह सही है कि इस संदर्भ में जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद ने अपने पत्रांक-ज्ञापांक-49 जि० क० उ०, दिनांक-10/2/2026 एवं ज्ञापांक-128 जि० क० उ०, दिनांक-11/05/2026 के द्वारा जिला के सभी अंचल अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की माँग की है, जो अबतक लंबित है;

(ग) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला में प्रस्तावित सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड के निर्माण में NOC उपलब्ध कराना चाहती है तथा 06 महीनों तक लंबित रखने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

स्मार्ट सिटी का निर्माण

***50 श्री संतोष कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, रोहतास एवं कैमूर):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि रोहतास जिला का बिक्रमगंज अनुमंडल नगर परिषद् स्मार्ट सिटी बनाने की सभी अर्हता पूरा करता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रोहतास जिला का बिक्रमगंज अनुमंडल नगर परिषद् को स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सड़क का चौड़ीकरण

***51 श्री अशोक कुमार अग्रवाल (कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि कटिहार नगर निगम स्थित के. बी. झा कालेज रोड से

लालकोठी रोड होते हुए संग्राम चौक तक करीब डेढ़ किलोमीटर की अतिमहत्वपूर्ण सड़क अब तक विकास से अछूती है;

(ख) क्या यह सही है कि इस सड़क का चौड़ीकरण, जीर्णोद्धार और ड्रेनेज का निर्माण नहीं किये जाने से बारिश के दिनों में नगरवासियों का इस सड़क से आवागमन दूभर हो जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि इस सड़क के दोनों ओर बसी घनी आबादी को विकास का लाभ नहीं मिल पाया है, मात्र डेढ़ किलोमीटर लम्बी सड़क पर करीब दर्जनभर बड़े-बड़े ठोकर बने हैं, जिससे आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं;

(घ) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सड़क को आवागमन के लायक बनाने हेतु तथा सड़क का चौड़ीकरण, जीर्णोद्धार और ड्रेनेज निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

दिव्यांगजनों को आरक्षण

***52 प्रो. (डा.) नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

क्या मंत्री, **सामान्य प्रशासन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संचिका सं०-11/आ०नी०-1-01/2025 सा०प्र० 7462, दिनांक-28.04.2025 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34(01) (ड़) के परन्तुक एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक- 17.05.2022 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत बेंचमार्क दिव्यांगजनों को प्रोन्नति में 4 प्रतिशत आरक्षण अनुमान्य करने का प्रस्ताव सरकार के अपर मुख्य सचिव द्वारा पारित हुआ है, यह आरक्षण बिल्कुल नगण्य प्रतीत होता है;

(ख) यदि उपरोक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दिव्यांगजनों को प्रोन्नति में 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की जगह चालू रिक्ति में ही 4 (चार) पद का सृजन सुरक्षित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

विद्युत शवदाह गृह का निर्माण

*53 **श्री बिनोद कुमार जयसवाल (स्थानीय प्राधिकार, सीवान):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सिवान जिले के दरौली एवं सिसवन प्रखण्ड में श्मशान घाट (शवदाह गृह) पर विद्युत शवदाह की व्यवस्था नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त श्मशान घाट पर दाह संस्कार के लिए छपरा, गोपालगंज एवं उत्तर प्रदेश के कुछ भाग से लोग आते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि विद्युत शवदाह की व्यवस्था नहीं रहने के कारण गरीब एवं अन्य लोगों को काफी परेशानी होती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर विद्युत शवदाह गृह एवं स्नानागार बनाना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

नाला का निर्माण

*54 **श्रीमती अनामिका सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज के राजीवनगर मोहल्ला वार्ड नं.-14 रेडियो वर्षा जगरनाथ साह जी के घर से हरेन्द्र प्रसाद सिंह (अधिवक्ता) के घर तक पी.सी.सी. सड़क एवं नाला निर्माण की योजना वर्षों से लंबित रहने के कारण आम जनता को कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि गोपालगंज विधान सभा क्षेत्र के पूर्व विधायक द्वारा मार्च 2025 में की गई अनुशंसा पर कनीय अभियंता द्वारा नापी कराकर प्राकल्लन बनाया गया, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हुआ है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित पी.सी.सी. सड़क एवं नाला निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

जमाबंदी रद्द कबतक

***55 श्रीमती मुन्नी देवी (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि खगड़िया जिलान्तर्गत, ग्राम- गढ़िया, थाना+ प्रखंड-चौथम, निवासी श्री अंजय सिन्हा, पिता-स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद सिन्हा के मकान के पास मौजा-गढिया, थाना-286, खाता-70, खेसरा-343 सरकारी गैर- मजरूआ परती भूमि है, जिसे उन्होंने अवैध तरीके से अपने पिता जितेंद्र प्रसाद सिन्हा के नाम करवा लिया है;

(ख) क्या यह सही है कि तत्कालीन अपर समाहर्ता, खगड़िया ने जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या-121/2021 के तहत आदेश पारित करते हुए उपरोक्त सरकारी जमीन की जमाबंदी संख्या-706 (गढ़िया मौजा) को अवैध घोषित कर दिया। साथ ही अंचल पदाधिकारी, चौथम को संबंधित जमाबंदी के लगान निर्धारण को रद्द करने के लिए लगान निर्धारण अपीलवाद अपर समाहर्ता, खगड़िया के यहां दायर करने का आदेश दिया है;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार काश्तकारी संशोधन नियमावली 2018 के नियम 53(3) के तहत लगान निर्धारण अपील वाद का निष्पादन 90 दिन में होना चाहिए, जबकि उक्त जमीन का लगान निर्धारण अपील वाद-01/2023-24 , दिनांक-27/12/2023 से अपर समाहर्ता, खगड़िया के पास अभी लंबित है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त भूमि को जल्द से जल्द अवैध कब्जा से मुक्त कराते हुए जमाबंदी रद्द कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पटना – 800015

22 जुलाई, 2026

शंकर कुमार,
प्रभारी सचिव
बिहार विधान परिषद्